

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक—

23

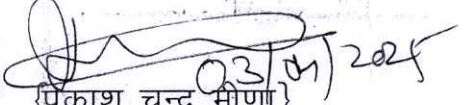
दिनांक—03.04.2025

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक प 27 (क) (39) गृह-2/2024 पार्ट-1 दिनांक 13.02.2025 एवं माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 के आलोक में व माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के पत्र क्रमांक 10964 दिनांक 02.04.2025 की अनुपालना में, मैं प्रकाश चन्द्र मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 (1) एवं 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए ब्यावर मुख्यालय पर नवसृजित महिला पुलिस थाना के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न एवं दर्ज होने वाले समस्त आपराधिक मामलों की सुनवाई, विचारण एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, ब्यावर अजमेर को प्रदान करता हूँ।

आदेश आज दिनांक 03.04.2025 से प्रभावी रहेगा।

नोट :- आदेश की दिनांक से पूर्व नवसृजित महिला पुलिस थाना में उत्पन्न/व्युत्पन्न प्रथम सूचना रिपोर्टों का विचारण/निस्तारण का क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, ब्यावर अजमेर को ही रहेगा।


[प्रकाश चन्द्र मीणा]

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।

क्रमांक - 1013-10 18

दिनांक - 03.04.2025

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित है :-

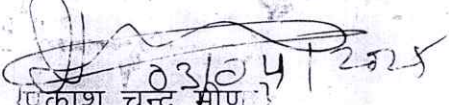
01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
02. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर।
03. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, ब्यावर।
04. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, अजमेर (जम2 ब्यावर)
05. थानाधिकारी, महिला थाना ब्यावर।
05. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, ब्यावर।
06. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल ब्यावर, को प्रेषित कर लेख है कि आज ही ब्यावर जिले के समस्त पुलिस थानों में उक्त संदेश प्रसारित करें।
07. कार्यालय प्रति।

1018A

200.

Copy to:-

System officer
for information & uploading


[प्रकाश चन्द्र मीणा]

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।